राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

1. अपील संख्या– 60/2010/उदयपुर
2. अपील संख्या– 61/2010/उदयपुर

मैसर्स जी.आर.अग्रवाल बिल्डर्स एण्ड डवलपर्स लि.,
उदयपुर। .....अपीलार्थी.
बनाम
उपायुक्त (अपील्स),
वाणिज्यिक कर विभाग, कोटा। ....प्रत्यर्थी.

खण्डपीठ
श्री नत्थूराम, सदस्य
श्री मदनलाल मालवीय, सदस्य

उपस्थित : :

श्री वी.के.पारीक,
अधिकृत अभिभाषक .....अपीलार्थी की ओर से.
श्री रामकिशोर खदाव,
उप राजकीय अभिभाषक .....प्रत्यर्थी विभाग की ओर से.

निर्णय दिनांक : 25.05.2018

निर्णय

1. अपीलार्थी–व्यवहारी द्वारा यह दोनों अपीले उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर, कोटा (जिसे आगे **"अपीलीय अधिकारी"** कहा जायेगा) द्वारा पृथक–पृथक पारित आदेश दिनांक 17.11.2009 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है।

2. दोनों पक्षों की बहस सुनी गयी, पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड एवं प्रतिप्रेषित आदेश का अवलोकन किया गया। रेकार्ड के अवलोकन से स्पष्ट है कि कर निर्धारण अधिकारी ने प्रत्यर्थी व्यवसायी के विरूद्ध क्रमशः आदेश दिनांक 28.06.2008 एवं 29.03.2007 द्वारा मांग सृजित की गई। उक्त आदेश के विरूद्ध, अपीलार्थी ने अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील पेश करने पर, अपीलीय अधिकारी ने पृथक–पृथक आदेश दिनांक 17.11.2009 द्वारा ब्याज राशि पर प्रकरण पुनः कर निर्धारण अधिकारी को आदेश पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित कर दिया। विचाराधीन प्रकरण में कर निर्धारण अधिकारी ने ई.सी. कार्य में उपयोग में लिये गये माल पर सीमेन्ट व बिटुमन पर प्रवेश कर से छूट प्रदान की गयी है तथा शेष आयात माल पर भिन्न–भिन्न कर दर से करारोपण किया गया है व ब्याज भी आरोपित किया गया है। अपीलीय अधिकारी ने अपने आदेश दिनांक 17.11.2009 द्वारा यह माना है कि जो माल राज्य के बाहर से आयातित किया गया है उस पर प्रवेश कर का आरोपण नहीं किया जा सकता, परन्तु व्यवहारी ने राज्य के बाहर से खरीद किये गये एल.डी.ओ., वेब्रिज, ल्युब्रिकेन्ट्स, फरनेस ऑयल, इमलसन को ई.सी. के अलावा किये गये कार्यों में काम में लिया गया है, जिस पर करारोपण विधिसम्मत है। अपीलीय अधिकारी ने Rajasthan Tax on Entry of goods into local Area Act, 1999 धारा 34ए के तहत् प्रवेश कर पर ब्याज के बिन्दु पर प्रकरण को प्रतिप्रेषित किया है। इस प्रकार इन अपीलों में व्यवहारी को कर के बिन्दु पर कोई अनुतोष देय नहीं है क्योंकि जो आयातित माल ई.सी. कार्य में प्रयुक्त किया गया है उस पर करारोपण नहीं किया गया है तथा जो आयातित माल ई.सी. कार्य में प्रयुक्त नहीं किया गया है, उस पर करारोपण विधिसम्मत है।

निरन्तर............................2

व्यवहारी की ओर से ऐसा कोई आधार प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे यह प्रमाणित होता है कि जिस आयातित माल पर प्रवेश कर आरोपित किया गया है उसका प्रयोग ई.सी. से संबंधित कार्य में ही हुआ है। जहां तक ब्याज का बिन्दु है इस संबंध में अपीलीय अधिकारी ने प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किया था। अपीलीय अधिकारी के उक्त प्रतिप्रेषित आदेशों की पालना में, कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अपीलार्थी को सुनकर पुनः पृथक–पृथक कर निर्धारण आदेश दिनांक 04.11.2011 पारित कर दिया गया है। अतः अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा कर बोर्ड में प्रस्तुत दोनों अपीलें सारहीन होने से खारिज होने योग्य है।

3. फलतः अपीलार्थी–व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत दोनों अपीलें खारिज की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।

(मदनलाल मालवीय)
सदस्य

(नत्थूराम)
सदस्य